राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 09 / 2021

दायर दिनांक:–21.01.2021

1. आशाराम पुत्र कानाराम जाति माली आयु 47 वर्ष, निवासी करकेड़ी तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
2. गिरधारी लाल पुत्र कानाराम जाति माली आयु 56 वर्ष, निवासी करकेड़ी तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

.........वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती हेतु

निर्णय दिनांक 05.10.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम परासोली पटवार हल्का अमरपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ में स्थित भूमि के खाता संख्या 44 में खसरा नम्बर 1 रकबा 0.0323 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2 रकबा 13.1301 हैक्टेयर में वादीगण का प्रत्येक का हिस्सा 1/16 दर्ज है। उपरोक्त खसरान में वादीगण के पिता का नाम कन्हैयालाल का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम कानाराम है। इसलिए सहवन से वादीगण के पिता का नाम आशाराम पुत्र कानाराम व गिरधारी लाल पुत्र कानाराम के स्थान पर आशाराम पुत्र कन्हैयालाल व गिरधारी लाल पुत्र कन्हैयालाल दर्ज हो गया था वादीगण के पिता के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहता है। वादीगण के पहचान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड व जमाबंदी आदि रिकार्ड में आशाराम पुत्र कानाराम व गिरधारी लाल पुत्र कानाराम नाम दर्ज है। वादी के खसरा नम्बरान में नाम आशाराम पुत्र कन्हैयालाल व गिरधारी लाल पुत्र कन्हैयालाल दर्ज होने से तथा वादीगण के पिता का अलग अलग नाम होने से वादीगण को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने में एवं अपनी कृषि [illegible] का [illegible]स करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जबकि उक्त आशाराम पुत्र कन्हैयालाल व गिरधारी लाल पुत्र कन्हैयालाल व आशाराम पुत्र कानाराम व गिरधारी लाल पुत्र कानाराम दोनों नाम के वादीगण एक ही व्यक्ति है। इस संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत अमरपुरा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त वाद वर्णित आराजी में वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

पिता का नाम आशाराम पुत्र कन्हैयालाल व गिरधारी लाल पुत्र कन्हैयालाल का इन्द्राज किया हुआ है। जबकि सही व वास्तविक नाम आशाराम पुत्र कानाराम व गिरधारी लाल पुत्र कानाराम है। वादीगण के पिता का नाम के लिए खातेदारी उदघोषणा करवाने एवं इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने पटवार हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई तब से वाद कारण शुरू होकर आज तक निरन्तर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम परासोली पटवार हल्का अमरपुरा की वर्तमान जमाबंदी संवत 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 44 में खसरा नम्बर 1 रकबा 0.0323 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2 रकबा 13.1301 हैक्टेयर में आशाराम पुत्र कन्हैयालाल (वादी संख्या 1) हिस्सा 1/16 जाति माली सा0 करकेड़ी खातेदार व गिरधारी लाल पुत्र कन्हैयालाल (वादी संख्या 2) हिस्सा 1/16 जाति माली सा0 करकेड़ी खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ग्राम करकेड़ी की जमाबंदी संवत 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 31 में खसरा नम्बर 1185/119 रकबा 0.0525 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1190/119 रकबा 0.2467 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1192/119 रकबा 0.0161 हैक्टेयर में वादीगण का नाम आशाराम पुत्र कानाराम (वादी संख्या 1) हिस्सा 1/2 जाति माली सा0 करकेड़ी खातेदार व गिरधारी लाल पुत्र कानाराम (वादी संख्या 2) हिस्सा 1/2 जाति माली सा0 करकेड़ी खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण का वाद स्वीकार कर रिकार्ड मे वादीगण के पिता का नाम कन्हैयालाल के स्थान पर कानाराम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है तो किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन के पश्चात वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम परासोली पटवार हल्का अमरपुरा तहसील रूपनगढ़ में स्थित भूमि के खाता संख्या 44 में खसरा नम्बर 1 रकबा 0.0323 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2 रकबा 13.1301 हैक्टेयर में वादीगण के पिता का नाम आशाराम पुत्र कन्हैयालाल व गिरधारी लाल पुत्र कन्हैयालाल के स्थान पर आशाराम पुत्र कानाराम व गिरधारी लाल पुत्र कानाराम नाम रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल [illegible] किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास–श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 09/2021

1. आशाराम पुत्र कानाराम जाति माली आयु 47 वर्ष, निवासी करकेड़ी तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
2. गिरधारी लाल पुत्र कानाराम जाति माली आयु 56 वर्ष, निवासी करकेड़ी तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

.........वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा. का. अधि. एवं धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम परासोली पटवार हल्का अमरपुरा तहसील रूपनगढ़ में स्थित भूमि के खाता संख्या 44 में खसरा नम्बर 1 रकबा 0.0323 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2 रकबा 13.1301 हैक्टेयर में वादीगण के पिता का नाम आशाराम पुत्र कन्हैयालाल व गिरधारी लाल पुत्र कन्हैयालाल के स्थान पर आशाराम पुत्र कानाराम व गिरधारी लाल पुत्र कानाराम नाम रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

असपा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज [illegible].10.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)